

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रैल 2021—चैत्र 12, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 मार्च 2021

क्रमांक ई 1-10/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, दिनांक 01-01-2021 से सेवा के अधिसमय वेतनमान Pay Matrix Level-14 में इस शर्त के साथ पदोन्नत करता है कि वे Mid-Career Training (Phase-IV) में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे. अधिकारियों को पदोन्नति

उपरांत तालिका के कॉलम 4 में उनके नाम के सम्मुख दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	सुश्री आर. शंगीता, (सी.जी.: 2005)	विशेष सचिव, मंत्रालय	सचिव, मंत्रालय
2.	श्री एस. प्रकाश, (सी.जी.: 2005)	विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अति. प्रभार मिशन संचालक, जल-जीवन मिशन.	मिशन संचालक, जल-जीवन मिशन
3.	श्री टोपेश्वर वर्मा, (सी.जी.: 2005)	कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव	कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव
4.	श्री नीलम नामदेव एक्का, (सी.जी.: 2005)	विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, विमानन, विशेष सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग.	सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, विमानन

2. श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2005) जो वर्तमान में भारत सरकार में निज सचिव (संचालक के समकक्ष), मान. केन्द्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, को उनके कनिष्ठ अधिकारी सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2005) के अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिसमय वेतनमान Pay Matrix Level-14 में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है.

3. श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2005) जो वर्तमान में भारत सरकार में निदेशक जनगणना/नागरिक पंजीकरण, छत्तीसगढ़ के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, को उनके कनिष्ठ अधिकारी श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2005) के अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिसमय वेतनमान Pay Matrix Level-14 में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है.

4. श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मिशन संचालक, जल-जीवन मिशन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11030/4/2017-AIS-II, दिनांक 31-12-2020 द्वारा अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु 05 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-1/2020/16.—**योजना का उद्देश्य** :— श्रम विभाग के छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में निर्माण/असंगठित श्रमिकों का पंजीयन तथा पंजीकृत श्रमिकों को मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा शासन द्वारा समय-समय पर श्रमिक हित में किये गये निर्णयों से श्रमिकों को अवगत करवाना.

(2) **योजना के प्रावधान :—**

- (i) योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से श्रम मित्र मनोनीत किये जायेंगे एवं उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जावेगा।
- (ii) मनोनीत श्रम मित्रों द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन/योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने एवं उसकी स्वीकृति होने पर प्रति आवेदन 50 रुपये प्रोत्साहन राशि मंडल द्वारा दिया जाएगा। श्रम मित्र को देय प्रोत्साहन राशि किसी भी माह में रुपये 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
- (iii) श्रम मित्रों के कार्य में मार्गदर्शन, समन्वय तथा उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों के सत्यापन हेतु संयोजक नियुक्त किए जायेंगे एवं उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जावेगा।
- (iv) संयोजकों द्वारा श्रम मित्रों से निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु एवं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु प्राप्त आवेदनों के सत्यापन, ऑनलाईन अग्रेषित किये जाने तथा उसकी अभिस्वीकृति होने पर प्रति आवेदन 15/- रुपये प्रोत्साहन राशि छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दिया जावेगा संयोजक को देय प्रोत्साहन राशि किसी भी माह में रु. 7,500/- से अधिक नहीं होगी।

(3) **योजना का विवरण :—**

- (i) प्रत्येक विकासखण्ड को एक यूनिट मानते हुये 5 श्रम मित्र एवं 1 संयोजक मनोनीत किये जायेंगे।
- (ii) प्रत्येक नगर पालिका तथा नगर पंचायत को एक-एक यूनिट मानते हुये प्रत्येक नगर पालिका तथा नगर पंचायत में 5-5 श्रम मित्र मनोनीत किये जायेंगे।
- (iii) प्रत्येक नगर निगम के 12 वार्डों का एक यूनिट बनाया जाकर प्रत्येक यूनिट के लिए 5 श्रम मित्र एवं 1 संयोजक मनोनीत किये जायेंगे।
- (iv) प्रत्येक श्रम मित्र का कार्य आबंटन एक निश्चित क्षेत्रवार किया जावेगा उक्त क्षेत्र अंतर्गत ही श्रम मित्र श्रमिक पंजीयन एवं योजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्य करेंगे।
- (v) मण्डल के कार्यों की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होने पर विकासखण्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगमों में श्रम मित्रों एवं संयोजक की संख्या में माननीय श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, के अनुमोदन से कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
- (vi) प्रत्येक 05 श्रम मित्र में से कम से कम 01(एक) महिला श्रमिक नियुक्त किए जायेंगे।

(4) **श्रम मित्र एवं संयोजकों का चयन :—**

माननीय श्रम मंत्री/माननीय अध्यक्ष छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल/जिला कलेक्टर/सचिव छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल/जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा श्रम मित्रों एवं संयोजकों के चयन हेतु प्रस्तावित सूची को अनुशंसा सहित श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाएगा। माननीय श्रम मंत्री छ.ग. शासन के अनुमोदन पश्चात् श्रम मित्रों एवं संयोजकों के मनोनयन की अंतिम सूची श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की जावेगी।

(5) **श्रम मित्रों के दायित्व/कर्तव्य :—**

- (i) निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान करवाने हेतु आवेदन अपने विशिष्ट पहचान संख्या के साथ निकटतम CSC केन्द्रों में करवायेंगे।
- (ii) श्रम विभाग की योजनाओं का क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना।
- (iii) श्रमायुक्त/सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल/जिला श्रम अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त द्वारा श्रमिकों के हितों के लिए दिए गए अन्य कोई भी दायित्व।

(6) **संयोजक के दायित्व/कर्तव्य :—**

- (i) श्रम मित्रों के कार्य में मार्गदर्शन, समन्वय.
- (ii) श्रम मित्रों द्वारा पंजीयन/योजनाओं के करवाये गये आवेदनों की प्रक्रिया एवं पात्रता का समय-समय पर सत्यापन की कार्यवाही.
- (iii) संयोजकों, श्रम मित्रों के कार्यों की निगरानी रखेंगे, मार्गदर्शन देंगे तथा उनके कार्यों की रिपोर्टिंग भी विभाग को करेंगे.
- (iv) मंडल के योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार में सहयोग करेंगे एवं क्रियान्वयन एवं आने वाली व्यवहारिक समस्याओं से विभाग को अवगत करायेंगे.
- (v) संयोजकों उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदाय की जावेगी.

(7) **संयोजक/श्रम मित्र को मानदेय का वितरण :—**

प्रत्येक संयोजक/श्रम मित्र को विभाग द्वारा प्रदत्त आई.डी के माध्यम से इनके द्वारा किये गये कार्य (सफल पंजीयन/स्वीकृत योजना के आवेदनों की संख्या) के आधार पर जिला श्रम कार्यालयों से प्रेषित बजट मांग पर छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा जिला श्रम कार्यालयों को बजट आबंटित किया जावेगा. संयोजक/श्रम मित्रों की कार्य के आधार पर मानदेय राशि संबंधितों के खाते में जिला श्रम कार्यालय द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जावेगा.

(8) **श्रम मित्र तथा संयोजक को दायित्वों से मुक्त किया जाना :—**

- (i) श्रम मित्र एवं संयोजक का कार्य संतोषप्रद नहीं होने/कार्य में निष्क्रियता अथवा लापरवाही एवं कार्यों से संबंधी शिकायत/गंभीर शिकायत की स्थिति में सचिव छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल/जिला कलेक्टर/जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर माननीय श्रम मंत्री छ.ग. शासन के अनुमोदन पश्चात् श्रम मित्रों एवं संयोजकों का मनोनयन समाप्त किया जा सकेगा.

(9) **विसंगति का निराकरण :—**

- (i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2021

क्रमांक/एफ 7/12/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री धमेन्द्र कुमार गर्ग, (भापुसे-2007), सेनानी, 19वीं वाहिनी, छसबल, करणपुर, जिला जगदलपुर को दिनांक 01 मार्च 2021 से दिनांक 12 मार्च 2021 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 28 फरवरी 2021 एवं 13, 14 मार्च 2021 की विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग आगामी आदेश तक सेनानी, 19वीं वाहिनी, छसबल, करणपुर, जिला जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
5. श्री धमेन्द्र कुमार गर्ग, (भापुसे-2007), सेनानी, 19वीं वाहिनी, छसबल, करणपुर, जिला जगदलपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजातशत्रु बहादुर, भापुसे सेनानी, 19वीं वाहिनी, छसबल, करणपुर, जिला जगदलपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 4-05/2020/26.—राज्य शासन एतद्वारा नशामुक्ति केन्द्रों के संचालन हेतु संलग्न अनुसार एकीकृत दिशा-निर्देश जारी करता है.

2. यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

नशा पीड़ितों हेतु 15 बिस्तरों का एकीकृत पुनर्वास केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र) की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश

प्रस्तावना :— प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यतः शराब, गांजा, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, गुड़ाखू, मुनक्का, ब्राऊन शुगर, हेरोईन, स्मैक, तम्बाकू निर्मित अन्य मादक पदार्थ, नशीली दवाईयां आदि नशा के रूप में प्रयुक्त होते हैं. इससे जनसामान्य में मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति परिलक्षित हुई है.

समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से सघन प्रचार-प्रसार कर नशामुक्ति के पक्ष में व्यापक जनमत विकसित किया जायेगा तथा नशा पीड़ितों को मादक द्रव्यों एवं पदार्थों के उपयोग/सेवन का सर्वथा त्याग कर नशामुक्त होने के लिए प्रोत्साहन का सार्थक प्रयास किया जाएगा.

उद्देश्य :— मादक द्रव्यों एवं पदार्थों के उपयोग की रोकथाम, नशा पीड़ितों को नशामुक्त करने तथा नशापान के दुष्परिणामों के प्रति जनचेतना विकसित करने के लिए 15 बिस्तरों का एकीकृत पुनर्वास केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र) की स्थापना सामान्यतः शासकीय चिकित्सालयों अथवा जिला मुख्यालयों में उपयुक्त स्थलों पर करना.

केन्द्र की क्षमता एवं कार्य :— नशामुक्ति केन्द्र में 15 नशा पीड़ितों को 01 माह तक आवासित किया जाएगा. जहां विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उनकी चिकित्सा की जाएगी. केन्द्र में बड़ा हॉल, फिजियोथैरेपी कक्ष, योगा कक्ष, रसोई, शौचालय, स्नानागार, कार्यालय कक्ष आदि होगा. नशा पीड़ितों के मानसिक एवं शारीरिक व्यवहार के अनुसार सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी किन्तु उन्हें किसी भी स्थिति में शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा अपितु मनोचिकित्सक द्वारा उनका समुचित उपचार किया जाएगा.

केन्द्र में प्रतिदिन निम्नानुसार मुख्यतः अन्य कार्य किए जायेंगे :—

1. योग शिक्षक के मार्गदर्शन में उपयुक्त योगाभ्यास.
2. नशा पीड़ित चाहे तो उनके धर्म के अनुसार उन्हें प्रार्थना, पूजा पाठ आदि के अवसर.
3. आवश्यकतानुसार भौतिक चिकित्सा हेतु.
4. नशापान के दुष्प्रभावों को न्यून करने हेतु उपचार की व्यवस्था.
5. नशा पीड़ित की क्षमता एवं योग्यतानुसार कौशल उन्नयन प्रशिक्षण.
6. विषय विशेषज्ञों का व्याख्यान, इण्डोरगेम आदि.

केन्द्र में दी जाने वाली सुविधाएं :—

1. निःशुल्क आवास, पौष्टिक आहार, चाय-नाश्ता आदि.
2. निःशुल्क दवाईयां, उपचार, आवश्यक स्वास्थ्यगत सेवाएं.
3. मनोरंजनात्मक गतिविधियां.
4. महिला एवं पुरुष हेतु पृथक-पृथक आवासीय व्यवस्था.
5. स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम.
6. बौद्धिक एवं शारीरिक विकास की व्यवस्था.
7. प्रत्येक अन्तःवासी के लिए पृथक-पृथक बिस्तर, पलंग आदि की व्यवस्था.
8. केन्द्र की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाएं.

क्रियान्वयन का अभिकरण :— समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्था (जिन्हें नशामुक्ति के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्षों से कार्य करने का अनुभव हो) अथवा धर्मार्थ निजी चिकित्सालय अथवा शासकीय चिकित्सालय अथवा समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य अभिकरण.

अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया :—

1. संस्था को न्यूनतम 03 वर्षों से नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो.
2. विभागीय अनुदान नियम अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र संलग्न हो.
3. विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंसा से संचालक समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़ को समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रेषित किये जायेंगे जिनका विभागीय अनुदान नियम अनुसार परीक्षण तथा विश्लेषण कर वित्तीय अधिकार पुस्तिका में दिये गये निर्देश अनुसार संचालक, समाज कल्याण, छ.ग. अनुदान स्वीकृत कर सकेगा.
4. प्रदत्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से महालेखाकार, छ.ग. एवं संचालक, समाज कल्याण छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराना होगा.
5. स्वैच्छिक संस्थाओं को आवर्ती व्यय 90 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय 70 प्रतिशत स्वीकृत किया जा सकेगा. शासकीय निकायों को शत-प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है. शासकीय निकायों को नियमावली, पंजीयन प्रमाण-पत्र आदि प्रस्ताव में संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी.

नशामुक्ति केन्द्र का मापदण्ड :—

क्र.	मद का नाम	पद की संख्या	प्रतिमाह व्यय राशि	प्रतिवर्ष व्यय राशि	शैक्षणिक योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(अ) आवर्ती व्यय :—**(I) कर्मचारियों का मानदेय**

1.	परियोजना समन्वयक सह व्यावसायिक काउंसलर.	1	15000	180000	स्नातक, केन्द्र संचालित करने 03 वर्ष का अनुभव.
2.	लेखापाल सह लिपिक	1	10000	120000	स्नातक बी.कॉम
3.	अंशकालिक चिकित्सक	1	13500	162000	एम.बी.बी.एस.
4.	सामाजिक कार्यकर्ता/मनोवैज्ञानिक	2	2×12500=25000	300000	स्नातक
5.	अंशकालिक योग थैरापिस्ट	1	5000	60000	मान्यता प्राप्त संस्थान से योग विषय में 01 वर्षीय डिप्लोमा.
6.	नर्स	2	11000×2=22000	264000	नर्सिंग डिप्लोमा
7.	वार्ड ब्वॉय	2	11000×2=22000	264000	8वीं पास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	पियर एजुकेटर	1	9000	108000	साक्षर, 02 वर्ष पूर्व से नशामुक्त हो चुका हो. नशा उपयोगकर्ता समुदाय से सम्बन्धित हो. सहानुभूति, संवाद कौशल से युक्त हो.
9.	रसोईया	1	8000	96000	
10.	चौकीदार	2	2×4100=8200	98400	
11.	स्वीपर	1	4100	49200	
(II)	भवन किराया/रखरखाव		14400	172800	
(III)	दवाईयां		9000	108000	
(IV)	विविध व्यय (स्टेशनरी, जल, विद्युत, टेलीफोन, आदि)		6000	72000	
(V)	परिवहन		3600	43200	
(VI)	रसोई व्यय		33750	405000	
योग आवर्ती व्यय				2502600	
(ब) अनावर्ती व्यय—					
	20 पलंग-बिस्तर, फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर, फ्रिज आदि			225000	
	आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण			20000	
योग अनावर्ती व्यय				245000	
महायोग (अ+ब)				2747600	

वित्तीय प्रबंधन :— मांग संख्या-34-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-02-समाज कल्याण-105-मद्य निषेध-2245-नशाबंदी कार्यक्रम-14-सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान मद अन्तर्गत उपलब्ध आबंटन से राज्य अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश तिवारी, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2021

संशोधन

क्रमांक एफ 10-85/2020/वा.क.(आब.)/पांच(18).—विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-85/2020/वा.क.(आब.)/पांच(122), दिनांक 28-11-2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित किया गया है, उक्त जारी अधिसूचना में, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा एवं समयावधि में संशोधन,

निम्नानुसार किया जाता है :—

अनुसूची

क्र.	प्रकाशित अधिसूचना का सरल क्रमांक	कार्यालय का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवाप्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यालय का स्तर	समय सीमा	(7)	(8)	(9)
1.	13	आबकारी आयुक्त	(1) आसवनी डी-1 लायसेंस (2) बोटल भराई अनुज्ञप्ति (बाटलिंग लायसेंस) एफ.एल. 9/9क. (3) यवासवनी फार्म ख-1 लायसेंस (4) वाईनरी डब्ल्यू-3 लायसेंस (5) सी.एस. 1 लायसेंस (6) सी.एस. 1 (ख) लायसेंस (नवीन अनुज्ञप्ति)	निराकरण सीमा	175 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
2.	14	आबकारी आयुक्त	(1) आसवनी डी-1 लायसेंस (2) बोटल भराई अनुज्ञप्ति (बाटलिंग लायसेंस) एफ.एल. 9/9क. (3) यवासवनी फार्म ख-1 लायसेंस (4) वाईनरी डब्ल्यू-3 लायसेंस (5) सी.एस. 1 लायसेंस (6) सी.एस. 1 (ख) लायसेंस (नवीनीकरण)	निराकरण सीमा	175 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
3.	24	कलेक्टर (आबकारी)	विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाईयों को अन्य राज्य से ई.एन.ए./एल्कोहल युक्त अन्य पदार्थों के आयात/राज्य स्थित आसवनी से ई.एन.ए./एल्कोहल-युक्त अन्य पदार्थों के परिवहन की स्वीकृति पर आयात/परिवहन परमिट जारी करना.	निराकरण सीमा	8 दिवस	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
4.	25	कलेक्टर (आबकारी)	राज्य में स्थित आसवनी से ई.एन.ए./एल्कोहल युक्त अन्य पदार्थों के निर्यात की स्वीकृति.	निराकरण सीमा	8 दिवस	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
5.	26	कलेक्टर (आबकारी)	राज्य में स्थित आसवनियों द्वारा अन्य राज्य से आर.एस. के आयात/राज्य में स्थित आसवनी से आर.एस. परिवहन की स्वीकृति पर आयात/परिवहन परमिट जारी करना.	निराकरण सीमा	8 दिवस	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	28	कलेक्टर (आबकारी)	राज्य में स्थित आसवनी/विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों/यवासवनियों/ वाईनरी इकाई से निर्यात परमिट जारी किये जाने हेतु.	निराकरण सीमा	8 दिवस	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त

2. उक्त संशोधन, अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

क्रमांक/17/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	डोडरापहर प.ह.नं. 8	0.79	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, जगदलपुर.	झुरा नाला पर सेतु निर्माण के पहुंचमार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

क्रमांक/18/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	खदरवाही प.ह.नं. 8	0.04	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	झुरा नाला पर सेतु निर्माण के पहुंचमार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2021

क्रमांक/1111/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	रोहिना	0.859	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2021

क्रमांक/1112/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	भेजीनारा	4.066	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2021

क्रमांक/1113/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	जमनीमुड़ा	1.564	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2021

क्रमांक/1114/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	मड़वाढोढ़ा	2.193	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2021

क्रमांक/1114/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	पुरैना	2.571	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 21 दिसम्बर 2020

प्र. क्रमांक/7980/भू-अर्जन/19 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-टाटेकसा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.316 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
164/6	0.045
164/5	0.057
164/8	0.113
166/1	0.101
योग	04 0.316

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टाटेकसा-
खैरी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुँच मार्ग निर्माण.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 दिसम्बर 2020

प्र. क्रमांक/7981/भू-अर्जन/20 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-केसालडबरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.325 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.325
योग	01 0.325

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टाटेकसा-
खैरी मार्ग पर स्थित टाटेकसा नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 11 जनवरी 2021

क्रमांक 01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-धनेली, प.ह.नं. 40
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	298	0.03
		534	0.06
641	0.08	535	0.30
		536	0.12
योग	01	07	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धनेली जलाशय के डुबान क्षेत्र में प्रभावित भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव अनंत तायल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

क्रमांक/4786/वा./भू.अ./प्र.क्र./20/अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सारवण्डी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
132	0.01
296	0.02
297	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांकेर-दुधावा मार्ग के कि.मी. 25/4 ग्राम सारवण्डी नाला पर उच्चस्तरीय सेतुमय पहुँचमार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

क्रमांक/4787/वा./भू.अ./प्र.क्र./20/अ-82/2016-17.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भैसमुण्डी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90	0.10
148	0.42
110/2	0.14
116	0.13
386	0.07
117	0.07
223	0.08
118	0.01

(1)	(2)	अनुसूची	
144	0.13	(1) भूमि का वर्णन-	
366	0.03	(क) जिला-कोरबा	
367	0.04	(ख) तहसील-कटघोरा	
383	0.04	(ग) नगर/ग्राम-कसरैगा	
405	0.18	(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.766 हेक्टेयर	
387	0.15	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
388	0.07		
357/1	0.03	(1)	(2)
357/2	0.02		
226/2	0.01		
257/1	0.04	122/3	0.040
357/3	0.02	122/2	0.040
357/4	0.02	122/5	0.053
225/2	0.05	125	0.189
356	0.15	128/1	0.294
228	0.08	269	0.093
224	0.02	127/3	0.049
225	0.06	141/1ग	0.012
243	0.28	141/3	0.049
योग	27	268	0.061
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायी तट नहर निर्माण के शाखा नहर निर्माण हेतु.		266	0.049
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.		264	0.093
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		265	0.109
चन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		256	0.065
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग		258, 262	0.049
कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2021		301	0.061
क्रमांक/1115/भूअर्जन/अ-82/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		297/1न	0.061
		297/1थ	0.185
		297/1क	0.065
		297/1ख	0.040
		297/1ड	0.097
		297/1ज	0.012
		योग	22
			1.766
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2021

(1)

(2)

क्रमांक/1116/भूअर्जन/अ-82/2020.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-ढपढप

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.746 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

163/1

0.036

380/3ख

0.028

163/3

0.045

380/3ग

0.045

364, 365/1, 370/2

0.105

341/3

0.012

370/6

0.016

367/1, 368/1

0.113

370/1

0.012

362

0.069

358/2

0.016

352/2

0.069

358/1

0.089

356, 357/1

0.053

95/2

0.045

350/1

0.004

190/2

0.081

192/2

0.036

352/1

0.032

352/3

0.032

160

0.121

162/2

0.008

164

0.032

165/3

0.069

165/2

0.065

166/1

0.008

190/1ख

0.065

192/1

0.020

197/1

0.053

372, 380/4

0.112

196/3

0.045

281/3

0.081

278/3

0.004

278/5

0.137

278/6

0.024

95/1

0.053

281/1

0.049

196/1

0.040

196/2

0.040

163/2

0.045

163/4

0.016

380/3क, 382/4क

0.008

113/10

0.012

113/11

0.008

113/12

0.004

382/4ख/1

0.040

382/4ख/2

0.020

95/3

0.081

341/2, 365/2, 382/2

0.032

341/12, 341/13

0.065

355/3, 357/2, 357/3

0.117

189

0.057

113/7

0.020

355/2, 357/4

0.040

190/1क

0.145

113/5, 114, 116/1, 116/2

0.040

113/8

0.020

113/9

0.012

योग

2.746

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

प्र. क्रमांक/2433/भू-अर्जन/10/अ-82/वर्ष 2018-19.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-छुरा

(ग) नगर/ग्राम-मड़ेली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.440 हेक्टेयर

योग

0.440

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1427

0.012

1428

0.005

1430

0.016

1429

0.013

1452/2

0.033

1454/2

0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पाण्डुका-
जतमई-घटारानी-गायडबरी-मड़ेली-मुड़ागांव मार्ग का उन्नयन
एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 7 दिसम्बर 2020

क्रमांक 1300/नगानि/कवर्धा/स्ट्रक्चरप्लान बिरकोना/2020.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है, कि बिरकोना निवेश क्षेत्र के लिए
वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15
की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम, कार्यालय ग्राम-पंचायत
बिरकोना जिला-कबीरधाम, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में दिनांक 09-12-2020 से
कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

बिरकोना निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

बिरकोना निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में :	ग्राम-घुघरीकला, पालीगुडा एवं बिरकोना ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में :	ग्राम-बिरकोना, खैरझिटी, दुबहा एवं जिंदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में :	ग्राम-जिंदा, कुटकीपारा, भेदली एवं लिमो ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में :	ग्राम-लिमो, जुनवानी, मगरदा एवं घुघरीकला ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जिस किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कवर्धा, जिला-कबीरधाम छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल—

1. कार्यालय कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
2. कार्यालय ग्राम-पंचायत बिरकोना, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
3. कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

No. 1300/TNCP/KAWARDHA/Birkona SP/2020.—Notice is hereby given that the existing land use map for BIRKONA PLANNING AREA has been prepared under the sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 09-12-2020 during Office hours in the office of the Collector, District kabirdham C.G., Office of the Gram Panchayat Birkona, District Kabirdham C.G., Office of the Assistant Director, Town and Country Planning, District Kabirdham.

The limit of Birkona Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Birkona Planning Area

NORTH :	Village-Ghugharikala, Paliguda upto the Northern limit of Birkona.
EAST :	Village-Birkona, Kherghiti, Dubaha upto the Eastern limit of Jinda.
SOUTH :	Village-Jinda, Kutkipara, Bhedali upto the Southern limit of Limo.
WEST :	Village-Limo, Junwani, Magarda upto the Western limit of Ghugharikala.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to the above mentioned places, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the “Chhattisgarh Gazette”.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director, Town and Country Planning Kabirdham, Chhattisgarh.

Place of Inspection :—

1. Office of the collector, Kabirdham (C.G.)
2. Office of the Gram Panchayat, Birkona, Kabirdham (C.G.)
3. Office of the Assistant Director Town And Country Planning, Kawardha District-Kabirdham (C.G.)

नवीन कुमार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 19 जनवरी 2021

क्रमांक 61/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-वाड्रफनगर/2021.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है, कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अंबिकापुर (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लमोरी के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

वाड्रफनगर निवेश क्षेत्र की सीमाएँ

- उत्तर में :** ग्राम-पशुपतिपुर, मिथिलापुर, रूपपुर, बसंतपुर एवं लमोरी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम-लमोरी, बसुलापाठ, प्रेमनगर, वाड्रफनगर एवं रजखेता ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम-रजखेता, कोटराही, पेंडारी एवं इकनारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम-इकनारा, मदनपुर, पेंडारी एवं पशुपतिपुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा।

निरीक्षण स्थल—कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना रोजगार कार्यालय, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)

No. 61/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-वाड्रफनगर/2021.—Notice is hereby given for general information of the public that the Existing land use map and Register of Village Lamori in Wadrafnagar Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning, Ambikapur under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limits of Wadrafnagar Planning Area

- NORTH :** Village-Pashupatipur, Mithilapur, Ruppur, Basantpur and upto the Northern limit of Lamori.
EAST : Village-Lamori, Basulapath, Premnagar, Wadrafnagar & upto the Eastern limit of Rajkheta.
SOUTH : Village-Rajkheta, Kotrahi, Pendari & upto the Southern limit of Eknara.
WEST : Village-Eknara, Madanpur, Pendari & upto the Western limit of Pashupatipur..

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days form the publication of the notice in Chhattisgarh Gazzette.

Inspection Site :— Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Old Employment Office, Ring Road, Namnakala, Ambikapur (C.G.).

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद छ.ग.

बालोद, दिनांक 25 जनवरी 2021

क्रमांक/52/ELU/दल्लीराजहरा/नग्रानि/2020.—दल्लीराजहरा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28-02-2020 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. उक्त निवेश क्षेत्र में एक भी आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

यतः उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन एतद्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है. उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :—

1. संभागीय आयुक्त दुर्ग, संभाग दुर्ग
2. जिला कलेक्टर, बालोद
3. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद (छ.ग.)
4. नगर पालिका परिषद् दल्लीराजहरा एवं नगर पंचायत चिखलाकसा, जिला-बालोद (छ.ग.)

No./52/ELU/Dallirajhara/T&CP/2020.—The existing land use map for dallirajhara planning area, was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) in the Chhattisgarh Gazette dated 28-02-2020 and objections and suggestions were invited from the public under the provision of sub-section (2) of the said section. Any objection or suggestion, modification have not filed in the said planning area.

Now, the existing land use maps for the above planning area is hereby adopted under sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in “Chhattisgarh Gazette” under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps has been duly prepared and adopted. The said adopted maps shall be available for inspection during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette in the following offices of :—

1. Divisional Commissioner, Durg Division
2. District Collector, Balod
3. Town And Country Planning Bload (C.G.)
4. Office of the Nagar Palika Parishad Dallirajhara (C.G.)
5. Office of the Nagar Panchayat Chikhlakasa (C.G.)

प्रीति देवांगन,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्रमांक 72/बड़े कनेरा/व.भू-उप/न.ग्रा.नि./2021.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्ट्रों को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, और उसकी एक-एक प्रति ग्राम पंचायत भवन बड़े कनेरा जिला कोण्डागांव, कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संयुक्त जिला कार्यालय भवन द्वितीय तल जगदलपुर कक्ष क्र. 31 में दिनांक 28-01-2021

से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में :	ग्राम-छोटे बंजोडा, बोलबोला व जरे बेन्दरी ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में :	ग्राम-बोलबोला, करंजी एवं बड़े कनेरा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में :	ग्राम-कुकाडगारकापाल व बड़े कनेरा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में :	ग्राम-बड़े कनेरा एवं कमेला ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समयावधि के भीतर लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, प्र. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

निरीक्षण स्थल—ग्राम पंचायत भवन बड़े कनेरा.

No. 72/Bade Kanera/EXT.L./T&CP/2021.—Notice is hereby given that the existing land use map for Bade Kanera Planning area has been prepared under section 15 sub section (1) of the C.G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from dates 28-01-2021 during office hours in the Office of the Gram Panchayat Bhawan Bade Kanera Office of the Collector, District Kondagaon & Office of Deputy Director, Town & Country Planning, Collectorate compound composite building Jagdalpur, Dist. Bastar. The limit of the Bade Kanera planning area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Bade Kanera Planning Area

NORTH	: Village Chote Banjoda, Bolbola and Jare Bendri upto the Northern Boundary.
WEST	: Village Bolbola, Karanji and Bade Kanera upto the Western Boundary.
SOUTH	: Village Kukadgarkapal and Bade Kanera upto the Southern Boundary.
EAST	: Village Bade kanera and Kamela upto the Eastern Boundary.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning Jagdalpur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by i/c Deputy Director.

Place for inspection : Gram Panchayat Bawan Bade Kanera.

आलोक चन्द्र बैसवाडे,
प्र. उप संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्रमांक 146/न.ग्रा.नि./धमतरी/2021.— भखारा पुनर्गठित निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 09-10-2020 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्तियां या सुझाव उपांतरण प्रस्तुत किए हैं अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

यतः उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है. उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :—

1. संभागीय आयुक्त रायपुर (छ.ग.)
2. जिला कलेक्टर, धमतरी (छ.ग.)
3. नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय धमतरी (छ.ग.)
4. नगर पंचायत कार्यालय भखारा (छ.ग.)

No. 146/T&CP/2021.—The existing land use map for Bhakhara extended Planning area, was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) in the Chhattisgarh Gazette dated 09-10-2020 and objections and suggestions were invited from the public under the provision of sub-section (2) of the said section. After giving reasonable opportunity of hearing to all such persons who have filed the objection or suggestion, modifications as considered desirable. are made therein.

Now, the existing land use maps for the above planning area is hereby adopted under sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in “Chhattisgarh Gazette” under the provision of sub-section (4) of section 15 of he said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps has been duly prepared and adopted. The said adopted maps shall be available for inspection during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette in the following offices of :—

1. Divisional Commissioner, Raipur
2. District Collector, Dhamtari
3. Town and Country Planning regional office Dhamtari (C.G.)
4. Nagar Panchayat Bhakhara (C.G.)

ललिता धुर्वे
सहायक संचालक.